

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा० संख्या 11/18
आरसीएमएस संख्या 2017/000243

सन् 2018

बउनवानी:-

1. सन्तरा देवी पुत्री विरदया पत्नि रामकुंवार जाति बैरवा निवासी कुतलपुरा जाटान, तहसील सवाई माधोपुर, हाल निवासी छाण ढाणी गंगानगर तहसील खण्डार
2. सम्पत देवी पुत्री विरदया पत्नि चेतार जाति बैरवा, निवासी कुतलपुरा जाटान, तह० सवाईमाधोपुर, निवासी ग्राम कुण्डेरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
3. गणपत देवी पुत्री विरदया पत्नि पप्पूलाल जाति बैरवा, निवासी कुतलपुरा जाटान, तह० सवाई माधोपुर, हाल निवासी ग्राम चौरु तहसील अलीगढ, जिला टोंक

बनाम

1. बालकिशन पुत्र विरदया बैरवा निवासी कुतलपुरा जाटान तह० व जिला सवाईमाधोपुर
2. जितेन्द्र पुत्र श्यामलाल बैरवा निवासी कुतलपुरा जाटान तह० व जिला सवाईमाधोपुर
3. महेन्द्र पुत्र श्यामलाल बैरवा निवासी कुतलपुरा जाटान तह० व जिला सवाईमाधोपुर
4. केलाश बैवा श्यामलाल बैरवा निवासी कुतलपुरा जाटान तह० व जिला सवाईमाधोपुर
5. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा० संख्या 116 निर्णय दिनांक 7.1.1979 वाके ग्राम कुतलपुरा जाटान तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित:- 1. श्री केलाश सिंह राजावत

वकील अपीलान्ट

2. श्री चन्द्र प्रकाश जांगिड

वकील रेस्पो., 1-4

:- निर्णय :-

दिनांक 22.07.2019

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल, नामा० संख्या 116 निर्णय दिनांक 7.1.1979 वाके ग्राम कुतलपुरा जाटान तहसील सवाईमाधोपुर के विरुद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरुद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अपीलान्ट व रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 एक ही परिवार के सदस्य है व मृतक विरदया पुत्र गंगाबिशन बैरवा निवासी कुतलपुरा जाटान तहसील सवाईमाधोपुर के वंशज है। अपीलान्ट संतरा देवी, सम्पत देवी एवं गणपत देवी, मृतक विरदया पुत्र गंगाबिशन की पुत्रीया है तथा रेस्पो. नम्बर एक मृतक विरदया बैरवा का पुत्र है व रेस्पो. संख्या 2 व 3 मृतक विरदया बैरवा के बडे पुत्र श्यामलाल के लडके है व रेस्पो. संख्या 4 मृतक विरदया बैरवा के मृतक पुत्र श्यामलाल की पत्नि है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्टगण के पिता विरदया पुत्र गंगाबिशन मूल रूप से ग्राम धनोली जेतपुर तहसील सवाईमाधोपुर के रहने वाले है तथा 70 वर्ष पूर्व आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपीलान्टगण का पिता विरदया पुत्र गंगाबिशन बैरवा शहर सवाईमाधोपुर में मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार की आर्थिक जीविका चलाने के उद्देश्य से अपना मूल गांव धनोली, जेतपुर छोडकर शहर सवाईमाधोपुर से बिल्कुल नजदीक गांव कुतलपुरा जाटान में आकर पूरे परिवार के साथ रहने लग गया तथा सरकार की योजना अनुसार विरदया पुत्र गंगाबिशन बैरवा निवासी ग्राम कुतलपुरा जाटान भूमिहीन होने के कारण आराजी ख०न० 76 रकबा 24 बीघा में से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 20.2.1960 को 3 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। जिसका नामा० संख्या 54 से उक्त ख०न० के मिन नम्बर 76/3 का अपीलान्ट के पिता विरदया को खातेदारी अधिकार दिया गया। अपीलान्टगण अपने पिता विरदया की जायज सन्ताने होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत विरदया की सम्पति मे पुत्र श्यामलाल व बालकिशन के

डॉ० ए. वी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

समान हिस्सा बनता है। कथन के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की Civil Appeal Nos 188-189 OF 2018 (@SLP© Nos 10638-10639 of 2013) की प्रति प्रस्तुत की गयी। अपीलान्त के पिता विरदया की दिनांक 28.3.1978 को मृत्यु होने पर उसके कब्जा काशत की आराजीयात का नामा0 संख्या 116 दिनांक 7.1.1979 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना वारिसान की जाँच किये हम अपीलान्तगण के नाम नहीं खोलकर विरदया के दोनो पुत्र श्यामलाल व बालकिशन के नाम खोल दिया गया है जिसके आधार पर रेस्पो. ने अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील की अपीलान्त को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी किन्तु जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक 17.5.2018 को नकल प्राप्त करने पर पता चला है। अतः जानकारी होने से अपील माननीय न्यायालय में अन्दर मयाद मय शपथ पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्त स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज करने बाबत निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 द्वारा निवेदन किया कि अपीलान्त रेस्पो. संख्या 1 व रेस्पो.संख्या 2 लगायत 3 के पिता व रेस्पो. संख्या 4 के पति की सगी बहिने है जिनका हमारे पिता/पूर्वज विरदया पुत्र गंगाबिशन के कब्जे काशत की आराजीयात में हमारे बराबर हिस्सा लेने का अधिकार बनता है किन्तु उनके इस अधिकार के बदले हम समय-समय पर उनको भात जामणा,तीज त्योंहारो इत्यादि पर खर्चा देते रहते हैं। फिर भी यदि माननीय न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त नामा0 खारिज कर अपीलान्त को भी हमारे पिता की विरासत का बराबर हिस्सा दिया जाता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्तगण रेस्पो संख्या 1 व रेस्पो. संख्या 2 लगायत 3 के पिता तथा रेस्पो. संख्या 4 के पति की सगी बहिने एवं मृतक विरदया की जायंदा पुत्रिया होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम,1956 के तहत उनका भी पुत्रो के समान ही अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्सा बनता है। इस संबंध में वकील अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर बखूबी चस्पा होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 116 केवल मात्र मृतक विरदया के पुत्रों के नाम ही भरा जाकर तस्दीक किया गया है जबकि उक्त नामा0 में अपीलान्तगण का नाम भी अंकित होना आवश्यक था। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व मृतक विरदया के विधिक वारिसान की गहनता से जाँच नहीं किये जाने के कारण मृतक विरदया के पुत्रों के नाम भरा गया उक्त नामा0 संख्या 116 दिनांक 7.1.1979 विधिसम्मत नहीं है। अतः मृतक विरदया के वारिसान की जाँच कर सभी विधिक वारिसान के नाम पुनः नामा0 भरकर तस्दीक करवाये जाने हेतु अपील अपीलान्त तहसीलदार सवाईमाधोपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है। एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक विरदया पुत्र गंगाबिशन के वारिसान की जाँच कर उसके विधिक वारिसान के नाम पुनः नामा0 भरकर दर्ज फ़ैसल करे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.7.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ०एस०पी०सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

